

**दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश / INSTRUCTION FOR CANDIDATES FOR DOCUMENT VERIFICATION**

- 1 उम्मीदवार निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र तथा उसकी दो प्रतियाँ स्वयं अभिप्रमाणित कर के अपने साथ अवश्य लाएँ / Candidate must bring the following certificates in original along with two sets of photocopies of all the documents duly self attested.
- (A) सभी शैक्षिक / तकनीकी योगिताओं (10<sup>th</sup> वी या मैट्रिक) के अंक पत्र / प्रमाण पत्र जिनका उल्लेख आवेदन में किया गया है / Mark Sheets / certificates of all Educational / Technical qualifications (10<sup>th</sup> and onward) mentioned in the application.
- (B) जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (10 वी या मैट्रिक)। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के अभाव में उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी / Date of birth certificate (10<sup>th</sup> or Matric). In absence of relevant date of birth certificate, candidature of candidate shall be cancelled.
- (C) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र (01/4/2017 को या उसके बाद जारी) का प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत सेवा के लिए लागू नॉन-क्रीमी लेयर स्टेटस को दर्शाता है। ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें ओबीसी रिक्तियों के लाभ नहीं दिए जाएंगे / Caste certificate for SC/ST/OBC candidates in prescribed format issued by Competent Authority. OBC candidates are required to produce caste certificate (issued on or after 01/04/2017) also indicating non-creamy layer status applicable for service under Government of India failing which they shall not be given benefits against OBC vacancies.
- (D) लिखित परीक्षा एवं शारीरिक क्षमता परीक्षा के बुलावा पत्र की निचली आधी प्रति / Lower half portion of Admit Card of written examination and Physical Efficiency Test (PET).
- (E) सरकारी कर्मचारियों के मामले में नियंत्रक अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र / No objection certificate from controlling Officer in case of Government servant.
- (F) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र, सेवा मुक्ति पुस्तक / वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र / Discharge certificate, Discharge book / NOC from present employer, in case of Ex-Servicemen (Ex-SM).
- (G) दिव्याङ्ग उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्याङ्ग प्रमाण पत्र / Disability certificate in prescribed format issued by competent authority in case of PwBD candidates.
- (H) आवेदन पत्र में अपलोड की गई गए फोटो के संरूप पाँच फोटो प्रतियाँ / Five identical passport size photographs uploaded at the time of online application.
- (I) यदि शुल्क में छूट क्लेम किया हो तो, उसके संबंध में दस्तावेज़ / If fee relaxation was claimed, certificate in support of it.
- 2 मांगे गए वैध दस्तावेजों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन केंद्र पर समय से उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी / Attendance is necessary at the Document Verification Center well in time with valid documents as asked for or otherwise in absence of that your candidature will be cancelled.
- 3 दस्तावेज़ सत्यापन केंद्र / सत्यापन की तिथि एवं समय में परिवर्तन करने हेतु किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा / No request for change of Center / date and time of Document Verification will be entertained.
- 4 अनुपस्थिति, अस्वीकृति या डीबारमेंट आदि के कारण, अंतिम पैनल में कमी से बचने के लिए, 5% अतिरिक्त उम्मीदवारों को अधिसूचित रिक्तियों की वास्तविक संख्या के ऊपर बुलाया जा रहा है। इसलिए, उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उन्हें केवल दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है, रेलवे में उनकी नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार नहीं प्रदान करता है / In order to avoid shortfall in the final panel due to absenteeism, rejection or debarment etc, 5% extra candidates are being called over and above the actual number of notified vacancies community-wise. Hence, candidates may please note that merely being called for document verification and medical examination does not confer any right on them for appointment in Railways.
- 5 प्रवेश पत्र पर पासपोर्ट साइज की फोटो लगाएँ तथा द.स. अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर ऐसा करें कि हस्ताक्षर का कुछ भाग फोटो और प्रवेश पत्र दोनों पर आ जाए अन्यथा उम्मीदवार को दस्तावेज़ सत्यापन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी / Affix your passport size photograph on the space provided on call letter & put signature on the photograph, in presence of DV official, in such a way that some part of the signature appear on the Admit Card otherwise candidate will not be allowed to appear in the document verification.
- 6 उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि में न हो अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी / Candidates are directed to ensure that certificates produced by them do not have any deficiency with respect to name, father's name, date of birth etc. failing which their candidature will be liable to be cancelled.
- 7 उम्मीदवारों का अंतिम चयन पहचान के सत्यापन, सभी मूल दस्तावेजों और मेडिकल परीक्षा / मानकों सहित पद के लिए निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगा। अंत में चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिखित परीक्षा के अंकों पर आधारित होगी / The final selection of the candidates will be subject to the verification of identity, all original documents and satisfying all criteria prescribed for the post including Medical Examination/Standards, as applicable. Merit of finally selected candidates will be based on marks of written examination.
- 8 चयन होने की स्थिति में, उम्मीदवारों को मध्य रेलवे में कहीं भी किसी भी विभाग में तैनात किए जाने की संभावना है / In the event of empanelment, the candidates are likely to be posted in any department anywhere in Central Railway.
- 9 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, दस्तावेज़ सत्यापन के दिन क्र.सं. 1 में बताए गए मूल प्रमाणपत्रों का उत्पादन करने में विफलता का परिणाम बिना किसी और नोटिस के उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी / Candidates may please note that no extra time shall be given for submission of certificates. Further, failure to produce original certificates as stated in Item No.1 above on the day of document verification shall result in cancellation of his/her candidature without any further notice.

- 10 उम्मीदवार हस्ताक्षर हस्तलिपि में ही करें जैसा आवेदन पत्र में किए हैं। अँग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं, यदि हस्ताक्षर अँग्रेजी के बड़े अक्षरों में करता / करती है तो वह अयोग्य घोषित होगा / Candidate must sign in running script as signed in the application form and not in capital letters. If he/she signs in block capital letters, he/she will be disqualified.
- 11 रेलवे प्रशासन किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने या/और उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार रखता है या/और यदि नियुक्त किया जाता है, तो उनकी सेवाओं को समाप्त करने या/और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अनुचित साधनों का उपयोग करने, ईपरसोनशन पाए जाने पर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए। ऐसे उम्मीदवारों को भी जीवन के लिए रेलवे परीक्षा / सेवाओं में उपस्थित होने से वंचित किया जाएगा / Railway administration reserves the right to cancel the candidature of a candidate or/and disqualify him/her or/and if appointed, to terminate his/her services or/and to initiate suitable legal action if the candidate is found to have indulged in any malpractices such as impersonation or using unfair means at any stage of the selection process. Such candidates shall also be liable to be debarred from appearing in Railway Examinations/Services for life.
- 12 उम्मीदवार को बुलावापत्र का निचला भाग संभाल कर रखना चाहिए ताकि बाद में निर्देश दिये जाने पर उसे वह भाग प्रस्तुत करने हेतु तैयार रहे। इसके अभाव में उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी / The candidate must retain the lower portion of this call letter and should be ready to produce the same at a later date when instructed, failing which he/she shall be disqualified.
- 13 किसी भी प्रकार की सिफारिश किए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा / Any form of canvassing will disqualify the candidate.
- 14 ऐसे उम्मीदवार जिनके दस्तावेज सत्यापन में सही पाए जाएंगे उन्हें निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के लिए उसी दिन या दूसरे दिन भयाखला (मुंबई), कल्याण, भुसावल, नागपुर, पुणे, सोलापुर भेजा जाएगा। इसके लिए उन्हें एक या अधिक दिन रुकने पड़ सकता है तदनुसार तैयारी से आएँ / Those candidates whose documents are found correct in order in verification, will be sent for prescribed Medical Examination on the same or next day to Railway Hospitals in Byculla (Mumbai), Kalyan, Bhusawal, Nagpur, Pune, Solapur. Hence, they should come well prepared to stay for the same for one or more days for medical examination.
- 15 चिकित्सकीय अयोग्यता, यदि कोई पायी जाती है, के आधार पर वैकल्पिक नियुक्ति के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। उम्मीदवार कृपया नोट करे कि निम्नतम अधिसूचित चिकित्सीय श्रेणी C-1 के सीमित पद हैं जिन्हें मेरिट तथा दिये गये विकल्प के आधार पर आवंटित किया जाएगा। अतः ऐसे उम्मीदवार जिनकी चिकित्सीय श्रेणी B-2 या C-1 है तथा जो चिकित्सीय श्रेणी C-1 के इन सीमित पदों की मेघा से नीचे हैं, उन्हें कोई पद आवंटित नहीं हो पाएगा तथा उनकी उम्मीदवारिता निरस्त कर दी जाएगी।
- PwBD उम्मीदवारों के लिए विभिन्न श्रेणी जैसे VI(LV), VI(B), LD, MD आदि के लिए भी सीमित पद हैं। अतः PwBD उम्मीदवारों को पदों की उपलब्धता के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा।
- There shall be no claim for alternative appointment on the ground of medical unfitness, if any. Candidate should note that there are only limited Posts in the lowest notified medical category C-1 which will be allotted on the basis of merit and option. Hence the candidates having B-2 or C-1 medical category and lower in merit for these limited posts of C-1 medical category will not be allotted any post and their candidature will be cancelled.
- Also posts for PwBD candidates are limited for different categories viz VI(LV), VI(B), LD, MD etc. Hence, PwBD candidates will be allotted as per the availability of posts.
- 16 उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अयोग्य पाये जाने पर / आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गयी घोषणा गलत अथवा अपूर्ण पाये जाने पर उनकी पात्रता समाप्त करने अथवा नियुक्ति हो जाने पर उनकी सेवा समाप्त करने का अधिकार रेल प्रशासन को है / Candidates may note that in the event of their being found ineligible at any stage of recruitment process or declaration given in application form is found to be incorrect or incomplete, the Railway Administration shall have the right to reject their candidature of such candidate(s) or even to terminate their services, if appointed.
- 17 उम्मीदवारों को आने जाने एवं ठहरने इत्यादि के लिए सभी खर्च स्वयं वहन करने होंगे। आवश्यक होने पर आर.आर.सी./म.रे. उन्हें अगले दिन भी बुला सकता है तदनुसार दस्तावेज सत्यापन सेंटर पर दो या अधिक दिन रुकने के लिए तैयार रहें / Candidates will have to bear all expenses with respect to stay, transportation etc. RRC/CR may also call them on next day in case of any requirement/exigencies, accordingly they should come well prepared to stay at Mumbai for Document Verification Center for two or more days.
- 18 सभी प्रकार के मामले में रेल भर्ती सेल/म.रे. का निर्णय अंतिम होगा / Decision of RRC/CR in all matters will be final.
- 19 संबंधित जानकारी हेतु वेबसाइट [www.rccr.com](http://www.rccr.com) देखें / Visit the website [www.rccr.com](http://www.rccr.com) for related information.
- 20 इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार की पात्रता निरस्त हो जाएगी / Violation of these instructions shall lead to cancellation of candidature.
- 21 रेलवे प्रशासन किसी भी स्तर पर किसी भी अनजाने त्रुटि को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है / Railway administration reserves the right to rectify any inadvertent error at any stage.
- 22 किसी भी कानूनी विवाद के लिए, अधिकार क्षेत्र केवल मुंबई में होगा / For any legal disputes, jurisdiction will be at Mumbai only.

RRC/CR